राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 413/2024

सुनील कुमार **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण एवं पंचायतीराज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद नीमकाथाना।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति उदयपुरवाटी, जिला नीमकाथाना।
4. अशोक कुमार मीणा, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत नाटास जिला झूंन्झूनू।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.02.2024
आदेश की दिनांक : 27.02.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप गरसा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर : श्री जगन्नाथ खण्डपा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 20.02.2024 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या–3 ने अपीलार्थी को ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा, पंचायत समिति उदयपुरवाटी जिला नीमकाथाना से ग्राम पंचायत नाटास पंचायत समिति उदयपुरवाटी तहसील गुढा, जिला झुंझुनू में स्थानांतरित कर दिया तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या 4, जिसने अभी परिवीक्षा अवधि पूरी नहीं की है, का स्थानांतरण ग्राम पंचायत नाटास जिला झुंझुनू से ग्राम पंचायत बागोरा जिला नीमकाथाना कर दिया गया है (अनुलग्नक–1)। अपीलार्थी की प्रारम्भिक नियुक्ति आदेश दिनांक 23.11.2017 द्वारा ग्राम विकास अधिकारी के पद पर ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा, पंचायत समिति उदयपुरवाटी में हुई एवं प्रारम्भिक नियुक्ति के बिना शिकायत कार्य निष्पादन कर रहा है। प्रत्यर्थी संख्या–4 का नियुक्ति आदेश दिनांक 13.04.2023 अनुलग्नक–2 पर है। निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को परीवीक्षाकाल में ग्राम पंचायत नटास (जिला झुन्झुनूं) से ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा जिला नीम का थाना में स्थानान्तरण किया है, जो गलत है। प्रत्यर्थी आलोच्य स्थानांतरण आदेश राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 289 का स्पष्ट उल्लंघन है। इस नियम में ग्राम विकास अधिकारी के

स्थानान्तरण हेतु जिला स्थापना समिति का अनुमोदन आवश्यक है। वर्तमान प्रकरण में निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 का स्थानांतरण जिला से बाहर कर दिया गया एवं अपीलार्थी का स्थानान्तरण निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 के स्थान पर कर दिया गया है। आलौच्य आदेश राजस्थान पंचायती राज के कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए सरकार द्वारा आदेश दिनांक 21.07.2023 द्वारा जारी स्थानांतरण नीति का भी उल्लंघन है (अनुलग्नक–3)। अपीलार्थी को यात्रा–भत्ता एवं योगकाल भी प्रदान नहीं किया गया है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 20.02.2024 को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा, पंचायत समिति उदयपुरवाटी जिला नीमकाथाना में निरंतर कार्यरत रखा जावे।

हमने विद्वान् अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी संख्या–3 विकास अधिकारी पंचायत समिति उदयपुरवाटी द्वारा जारी आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण पंचायत ग्राम रघुनाथपुरा पंचायत समिति उदयपुरवाटी से ग्राम पंचायत नाटास, पंचायत समिति उदयपुरवाटी किया गया है। अपीलार्थी ग्राम विकास अधिकारी के पद पर रघुनाथपुरा में अपनी प्रथम नियुक्ति वर्ष 2018 से कार्यरत है। पंचायत समिति उदयपुरवाटी की प्रशासन एवं स्थापना समिति बैठक दिनांक 20.02.2024 के निर्णय की अनुपालना में प्रत्यर्थी संख्या–3 विकास अधिकारी पंचायत समिति उदयपुरवाटी द्वारा आलौच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 पारित किया गया है, जो सक्षम स्तर से जारी किया गया है। आलौच्य आदेश द्वारा पंचायत समिति उदयपुरवाटी के क्षेत्राधिकार में ही स्थानान्तरण किए गये है, जिसके लिए पंचायत समिति की प्रशासन एवं स्थापना समिति सक्षम है। उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार अपीलार्थी का आलोच्य स्थानान्तरण आदेश अन्तर जिला स्थानान्तरण का प्रकरण नहीं है। लिहाजा राज्य सरकार का आदेश दिनांक 21.07.2023 इस प्रकरण में लागू नहीं होता है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण उसके वर्तमान पदस्थापन पर वर्ष 2018 से पदस्थापन के बाद समुचित अवधि के पश्चात किया है इसमें कोई दुर्भावना प्रकट नहीं होती है एवं न ही किसी नियम या आदेश का उल्लंघन होना पाया जाता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for*

> *administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज योग्य होने के कारण एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)